UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 1237 /xxx-30-4-2013-346/95 T.C. dated July 10, 2013

Notification

No. 1237 / xxx-30-4-2013-346/95 T.C.
Lucknow: Dated: July 10, 2013

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 96 of the Motor Vehicles Act,1988(Act no.59 of 1988) read with clause (xxiii) of sub-section (2) of the said section and section 21 of the General Clauses Act,1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to make following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules,1998 after considering the objections and suggations received in pursuance of Government notification no.876/XXX-30-4-2013-346/95 T.C.dated 10 May, 2013 as required under sub-section (1) of section 212 of the said Act of 1988.

The Uttar Pradesh Motor Vehicles (Fourteenth Amendment) Rules, 2013

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Fourteenth Amendment) Rules, 2013.
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2- In the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998, in rule 2;
(a) after clause (xiv), the following clause shall be inserted, namely ;-

(xiv-a) “Operator” means the holder of permits granted in pursuance of subsection (1) of section 74 and issued in terms of rule 124E in respect of each vehicle and is in possession of not less than ten radio taxies.

(b) after clause (xvii),the following clause shall be inserted, namely ;-
(xvii-a)‘Permit” means a permit granted in pursuance of sub-section (1)
of section 74 and issued or renewed in terms of rule 124E to radio taxi to operate on the fare prescribed by the State Government.
(c) after clause (xviii),the following clause shall be inserted, namely ;-

(xviii-a) “Radio Taxi” means the motor cab equipped with necessary specifications;

(d) after clause(xxiv),the following clause shall be inserted, namely ;-

(xxiv-a) “STA” means the State Transport Authority of Uttar Pradesh constituted under sub-section (1) of section 68.

3- In the said rules, after rule 124, the following rules shall be inserted, namely:-

124A Restriction on operation under these rules- No person shall engage himself in the business of radio taxi without valid permit.

124B Eligibility criteria for making an application:- An applicant must-

(i) be an individual, association of individuals either a company incorporated under the Indian Companies Act, 1956 or a society registered under the Societies Registration Act,1860;

(ii) be financially sound so as to run and manage the radio taxi operation under the scheme and shall be required to furnish a bank guarantee for performance guarantee of Rupees two lakh in **Form-SR 43A** on or before the date of issue of letter.

(iii) demonstrate possession of adequate parking space for all taxies and office space (minimum of one hundred sq.feet) for accommodating the control room with radio communication and two telephone lines which are accessible throughout day and night;

(iv) have minimum Ten radio taxies of following profile-

(a) every vehicle should be brand new at the time of induction;

(b) the vehicle should be driven on clean fuel i.e Compressed Natural Gas/Liquefied Petroleum Gas (CNG/LPG);

Provided that at the places where such fuel is not available such taxi shall be permitted to ply on available fuel.

(c) the vehicle should be of engine capacity of 999 cc or above, JEEP type vehicle like Gypsy etc. is prohibited;

(d) the vehicle must be equipped with temperature control devices such as air conditioning, heating and maintained in proper working order at all times;

(e) the vehicle should be fitted with electronic fare meters on the front panel (dashboard) and maintained in a proper working order;

(f) on the roof of the vehicle there should be a Light Emitting Diod/Liquid Crystal Display board, to display that the vehicle is a radio taxi. The dimensions of the LED/LCD display panel must conform to the norms prescribed by the STA;

(g) the vehicle is allowed to carry advertisement in such a manner so that it will not disturb any one using the road and are only visible to the people standing on the road side. This permission will be granted by ensuring that road safety is not being compromised in any way;

(h) the vehicle should meet emission standards as prescribed from time to time;

(i) the vehicle must be fitted with Global Positioning System/General Packet Radio Switching based tracking devices which must be in constant communication with central control unit while the vehicles is on duty;

(j) the vehicle must be equipped with a mobile radio fitted in the front panel for communication between driver and the main control room of the operator;

(k) the vehicle must be equipped with the first aid box containing material as specified in these rules;

(l) the vehicle should be replaced on completion of 9 years with a brand new vehicles meeting the prevailing emission standard;

(m) photograph of driver along with operator, particulars of driver and details of the operator will have to be displayed on the dashboard of the vehicle;

(n) the radio taxi shall remain in white colour with different colour strip of one foot on both of the panels of the car for differentiating each operator;

(o) transport help line number should be prominently displayed inside and outside of radio taxies necessarily;

and shall undertake to employ the drivers in radio taxies of following profile -

(a) the drivers must possess a valid driving license for heavy or light vehicle, as the case may be, for a period of not less than three years preceding the date on which they are employed to drive the radio taxies under these rules;

(b) the drivers must have passed class-x examination or equivalent from a recognized institution;

(c) the drivers shall be required to successfully pass a special driving test as and when devised/prescribed by the STA;

(d) the drivers must at all times be in uniform as per these rules or dress as approved by the STA;

(e) the drivers must be of good behavior and good character without any criminal record;

(f) the drivers must be totally reliable and trust worthy who are employed only after police verification.

124C Area of operation –If the permit is issued to a radio taxi, it will be permitted to operate under the permit within the territorial limit of any Municipal Corporation and shall also be valid for the journey extended beyond the municipal limit if demanded by the passenger for any visiting place situated within the State.

Explanation: For the purposes of this rule**,** the Municipal Corporation means a Municipal Corporation under the Uttar Pradesh Municipal Corporation's Act, 1959 (U.P.Act no. 2 of 1959).

124D Application for grant or renewal of permit- (1) An application for grant or renewal of a permit under the Act and these rules shall be made vehicle wise in **Form-SR43B** to the STA for operation within the territorial limit of a Municipal Corporation and shall be accompanied by a fee as prescribed by the State Government from time to time. If an operator is not in possession of the vehicles at the time of application, he may request to the STA for issuance of letter of intent in the same application format for purchasing the vehicles.

(2) The STA shall normally dispose of the applications for grant or renewal of permit under these rules within thirty days from the date reciept thereof

124E Procedure for issue and renewal of permit-

(1) The STA may, on receipt of an application under rule 124 D and after satisfying himself that the applicant has complied with the requirement of rule 124 B, issue a letter of intent in **Form-SR43C** in favour of the applicant for purchase of a minimum ten vehicles of the prescribed category as per induction schedule finalized by the STA under rule 124H. Under the induction schedule, this fleet may be achieved by the applicant within four month from the date of issue of letter of intent. However, temporary permits can be granted vehicle wise presenting at least five vehicles to start the operation.

(2) Temporary permits, on having at least five vehicles, shall be granted to operator for four months so as to establish a control room fully equipped with a

radio network and GPS/GPRS tracking system within a period of four months from the date of issue of letter of intent.

(3) In the event that *operator* fails to fulfill these conditions in four months, an application giving reasons for delay and accompanied with a penalty of Rupees five thousand to be paid through demand draft drawn in favor of *Transport Commissioner* Government of Uttar Pradesh, shall be presented before the STA. After being satisfied from the cause explained, The STA may grant further two months time to establish the infrastructure.

(4) Vehicle wise temporary permits shall be issued to the operator unless and until he procures at least ten vehicles as per induction schedule approved by the STA under rule124H. On compliance of all conditions prescribed in the letter of intent, vehicle wise regular permit valid for a period of five years shall be issued by the STA in **Form-SR43D-**

(5) In the event that operator fails to comply with the stipulations as described in preceding items within the prescribed period, his temporary permits shall automatically stand cancelled and the performance guarantee of rupees two lakh shall be forfeited.

(6) The permit initially granted for a period of five years shall be renewable for a further period of five years subject to the satisfactory performance of the operator as per terms and conditions and any vehicle wise other condition prescribed by STA. The applicant may submit the applications vehicle wise in **Form-SR43B** for renewal of permits after completion of four years but not less than three months before the expiry of the permits accompanied a renewed/fresh performance guarantee of Rupees two Lakh or as the case may be, of such extended amount as may be fixed by the STA in view of rate of increase in the cast of radio taxies and expenses of opration thereof.

(7) On receipt of the applications for renewal of permits, an inspection of the business premises of the operator shall be carried out and performance of the operator shall be evaluated as per the terms and conditions of these rules. The STA shall keep in view the complaints received against the operator at the time of granting renewal of the permits. After satisfying himself that the operator has performed the services as per requirements of these rules, STA shall grant the renewals in Form**-SR43D.**

124F Special conditions to be adhered by the operator- (1) an operator or a permit holder shall**-**

(a) not shift the main place of the business mentioned in the permit without prior approval in writing of the STA;

(b) keep the premises and all the records and registers maintained by him and radio taxies open for inspection at all reasonable time by any person not below the

rank of Senior Motor Vehicle Inspector or Taxation Officer authorized by the STA;

(c) submit from time to time to the S.T.A., such information and return as may be called for by it;

(d) maintain in their radio taxies, at his main office of business and other offices, at a conspicuous place a "complaint book" in **Form-SR43E** with serially numbered pages in triplicate. The operator shall dispatch the duplicate copy of the complaint, if any, to the STA by registered post expeditiously and in any case not later than three days; and

(e) maintain the suggestion book in the main and branch office and forward suggestion received with comments, if any, to the STA once a month.

(2) The permit shall not be transferred to any one by the operator without prior written permission of the STA.

124G Fare and Detention charges- Fare, detention charges and other charges shall be fixed by notification in official Gazette from time to time.

124H Induction Schedule- (1) An applicant must submit an induction schedule in respect of not less than ten vehicles at the time of making an initial application for issue of letter of intent. The STA may approve the schedule mentioning primarily to present at least 5 vehicles as first lot within a reasonable time from the date of issue of letter of intent, and for further schedule with or without modifications or may require the applicant to submit a modified induction schedule prior to issue of letter of intent.

(2) The operator shall submit a compliance report of each stage of the approved Schedule to the STA.

(3) If the operator fails to induct radio taxies as per approved schedule, performance guarantee may be forfeited and Temporary permit may be cancelled by the STA.

124-I Power of STA to suspend or cancel the permits- (1) The STA, on being satisfied after giving the operator an opportunity of being heard, is of the opinion that **-**

(a) he has failed to comply with any of the terms and conditions the provisions of these rules or the conditions of the permit; or

(b) he has failed to maintain the radio taxi in compliance with the provisions of the Act and these rules; or

(c) any one of his employees is guilty of misbehavior with customers; or

(d) any complaint against the permit by any person has been proved shall suspend the permit for specified period or cancel it.

(2) Where the permit is liable to be suspended or cancelled and the STA is of the opinion that having regard to the circumstances of the case, it would not be

necessary or expedient to suspend or cancel the permit; if the operator agrees to pay the sum of money that may be imposed by the STA, then not with standing anything to the contrary contained in sub-rule (1) the STA may, instead of suspending or cancelling the permit, as the case may be, recover from the operator, the sum of money agreed upon.

(3) When the permit is suspended or cancelled under sub-rule (1), the operator shall surrender the permit to the STA.

124J Appeal - Any person aggrieved by any order of the STA under rule 124 E or rule 124 I, may, within thirty days of the receipt of the order, appeal to the State Transport Appellate Tribunal.

124K Procedure for appeal- (1) An appeal under rule 124J shall be preferred in duplicate in the form of a memorandum setting forth the grounds of objection to the order of the STA and shall be accompanied by fee as may be specified by the Government from time to time.

(2) The State Transport Appellate Tribunal may after giving an opportunity to the parties to be heard and after such enquiry as it may deem fit, pass appropriate orders.

124L General conditions attaching to all radio taxi permits- (1) the conditions of every such permit shall be as follows-

(i) Working hours of drivers is to be limited in accordance to the Transport Workers Act, 1961.

(ii) Radio taxi will be available to the general public in three ways:

(a) on call by dialing the concerned telephone numbers,

(b) by hiring the taxi from the designated location,

(c) by stopping the taxi on the road.

(iii) If the radio taxi operator uses or causes or allows a vehicle to be used in any manner not authorized by the permit or provisions of these rules, the operator /driver shall be jointly and severally responsible for any offence or crime which has been committed by person using the said vehicle.

(iv) An operator may at any time surrender the permit issued to him by the STA and, on such surrender, the STA shall cancel the permit. The operator shall clear all dues before surrendering the permit and seeking release of bank guarantee.

(2) The State Government shall have power to change any or all of the terms and conditions mentioned in sub-rule (1) in public interest.

4- In the said rules, after Form SR 43, the following Forms shall be inserted namely:-

Form SR-43A
[See rule 124B (b)]
Bank guarantee for performance guarantee
(On banks letter head with adhesive stamp)

To
Transport Commissioner
Uttar Pradesh
Parivahan Bhawan, Tehri Kothi, MG Marg,
Lucknow-226001.

KNOW ALL MEN by these presents that we ......……… … … ……......of...……………………………(Name and address of Bank) having our registered office at ……………………………(hereinafter called “the bank”) are bound unto, Transport Commissioner, Utter Pradesh (hereinafter called “the Regulator”) in the sum of Rs………………..lakhs (Rupees ………………...lakhs only) for which payment will and truly to be made to the said Regulator, the Bank binds itself, its successors and assigns by these present.
Whereas a Letter of Intent No. …………………….. dated …………… has been issued by **STA to** …………………………………………… (Name of the operator) (Hereinafter called “the operator”) for execution of the Radio Taxi permits.

AND WHEREAS the operator is required to furnish a Bank Guarantee for the sum of Rs. ……………………lakhs (Rupees …………… lakhs only) towards Performance Guarantee.
AND WHEREAS…………………………………………..(Name of Bank) have, at the request of the

Operator, agreed to give this guarantee as hereinafter contained without demur.

2. We further agree as follows:
(a) That the guarantee hereinbefore contained shall not be affected by any change in the constitution of our Bank or in the constitution of the Operator.
(b) That any account settled between the Regulator and the Operator shall be conclusive evidence against us of the amount due hereunder and shall not be questioned by us.
(c) That this guarantee commences from the date hereof and shall remain in force for a period of five years extendable by five years.
(d) That the expression ‘the Operator’ and ‘the Bank’ herein used shall, unless such an interpretation is repugnant to the subject or context, include their respective successor and assigns.

3. The conditions on this obligation are:

(i) If the Operator fails or refuses to induct the radio taxi within the time limit specified in the Letter of Intent.

(ii) If the Operator fails to perform its obligations under the radio taxi scheme.

We undertake to immediately pay to the Regulator at Lucknow in UTTAR PRADESH the above amount upon receipt of his first written demand, without the Regulator having to substantiate his demand provided that in his demand the Regulator will note that the amount claimed by him is due to him owning to the occurrence of any one or more of the conditions (i) & (ii) mentioned above, specifying the occurred condition or conditions.

SIGNATURE OF THE WITNESS

NAME OF THE WITNESS

ADDRESS OF THE WITNESS

SIGNATURE OF ___________________

AUTHORISED OFFICIAL OF THE BANK

NAME OF OFFICIAL --------------------

DESIGNATION ---------------------------

STAMP/SEAL OF THE BANK

Form SR-43B
[See rule 124D]

Application for grant or issue or renewal of letter of Intent /permit under radio taxi

To,

The State Transport Authority
Uttar Pradesh, Lucknow

I/we, the undersigned, hereby apply for a permit for radio taxi.

1 Full Name -

2 Name of the Father/ Husband, in the case of an individual and in the case of a cooperative Society or company, the name of the Secretary or the Managing Director, as the case may be,

3 Status of the applicant, (whether individual association of individuals, Co-operative Society or company etc.)

4 Full address:

(i) Permanent

(ii) Present

(To be supported by attested copy of ration card, electricity bill or any other valid documentary proof to the satisfaction of the STA in the case of an individual and in the case of company or cooperative society certified copy of the Registration}

5 (i) Registration Mark of the Vehicle

(ii) Model

(iii) Chasis Number

(iv) Engine Number

(v) Class of Vehicle

(vi) Number of passengers to be carried

(vii) Name of Financier, if any, with whom the Vehicle is under Hire Purchase agreement

6 Route/Area for which Permit is valid

7 Whether specifications are complete as radio taxi

8 Whether fitted with taxi-metre/GPS/GPRS -

9 (a) Experience in management of transport business

(b) Number of radio taxi held with in the name of applicant

(To be supported by the attested copy of Registration Certificates issued by the registering authority concerned)

10 Particulars of permit, if already held -

11 (a) Place where the applicant has his main office with detailed address

(b) Place where the applicant has his branch office with detailed address

(c) The number of radio taxi to be stationed in each branch office

12 Nature and extent of financial resources of the applicant

13 Whether the applicant has furnished the Bank guarantee for performance guarantee (if yes, the details thereof)

14	Whether the operator is conversant with the conditions for carrying the business under the Radio Taxi scheme.
15	Whether the operator has submitted the induction schedule of the vehicles to be inducted within a year from the date of issue of Latter Of Intent (LOI). (if yes, enclose the same)
16	Details of prescribed fee -
17	I hereby declare that to the best of my knowledge and belief the particulars given above are correct and true.

- ❖ I/We, therefore, request to the Authority for issue the Letter Of Intent as per supplied induction schedule so that the vehicle may be arranged accordingly for grant/issue of permits.

Signature of the Applicant

- ❖ Note: Strike out if is in applicable.

Form SR-43C
[See rule 124E(1)]
Transport department Uttar Pradesh
Letter Of Intent

No. Date

To,
Mr/Mrs.

With reference to your application dated regarding grant of Latter Of Intent for purchasing/arranging the radio taxies, letter of Intent is being issued for inducting the vehicles as per following induction schedule-

----

It is being clarified that on failure to induct the radio taxies as per above approved schedule, shall be liable to result in forfeiture of bank guarantee for performance guarantee

Secretary
State Transport Authority
Uttar Pradesh

Form SR-43D
[See rule 124E (4)]
Permit in respect of Radio Taxi

Permit Number

1-Name of the operator
2- Name of the Father/Husband, in the case of Individual and in the case of Co-operative Society or company, the name of its Secretary or Managing Director, as the case may be.
3- Address
4- Main place of business
5- i) Registration Mark of the Vehicle
ii) Model
iii) Chasis Number
iv) Engine Number
v) Class of Vehicle
vi) Number of passengers to be carried
vii) Name of Financier, if any, with whom the Vehicle is under Hire Purchase agreement
6- Route/Area for which permit is valid
7- Date of issue of the permit
8- Date of expiry of the Permit
9- Date of Replacement of Vehicle
10- Whether specification are complete as radio taxi
11-Nature of goods to be carried
12-Conditions of Permit are enclosed

Secretary
State Transport Authority
Uttar Pradesh

Renewal

Renewed from……………to…………..

Secretary
State Transport Authority
Uttar Pradesh

Form SR-43E
[See rule 124F (1)(d)]
Complaint Book

(With pages serially numbered in triplicate)

1- Name of Complainant ………………………………………..
2- Full address ………………………………………..
……………………………………………...
3- The name and address of the ……………………………………….
Operator
4- Permit number and authority ……………………………………….
which issued the permit
5- The date and time of hiring the ……………………………………
Vehicle and date and time whom
the vehicle was returned
6- Vehicle number ………………………………………….
7- Complaint in brief ………………………………………….

Date
Place Signature

Copy to-

1- The S.T.A., U.P. Lucknow by registered post …… … … … … . (duplicate copy)
2-The complainant……………………………………(triplicate copy)

By order,

(B.S. Bhullar)
Principal Secretary

उत्तर प्रदेश शासन,
परिवहन अनुभाग–4
संख्या–1237 /30–4–2013–346/95 टी0सी0
लखनऊःदिनांकः 10 जुलाई, 2013

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10, सन् 1897) की धारा 21 और मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 96 की उपधारा (2) के खण्ड (तेईस) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सन् 1988 के उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन जारी सरकारी अधिसूचना संख्या– 876/30–4–2013 –346/95 टी0सी0, दिनांक 10 मई, 2013 के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश मोटरयान (चौदहवॉ संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (चौदहवॉ संशोधन) नियमावली, 2013 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में, नियम 2 में ;

(क) खण्ड (चौदह) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् ; (चौदह–क) "प्रचालक" का तात्पर्य धारा 74 की उपधारा (1) के अनुसरण में स्वीकृत और प्रत्येक यान के सम्बन्ध में नियम 124ड. के निर्बन्धनों के अनुसार जारी किये गये ऐसे परमिट धारक से है जिसके पास दस से कम रेडियो टैक्सियॉ न हों।

(ख) खण्ड (सत्रह) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात;– (सत्रह–क) "परमिट" का तात्पर्य धारा 74 की उपधारा (1) के अनुसरण में स्वीकृत और राज्य सरकार द्वारा विहित किराये पर रेडियो टैक्सी परिचालित करने के सम्बन्ध में नियम 124 ड. के निर्बन्धनों के अनुसार जारी अथवा नवीकृत परमिट से है;

(ग) खण्ड (अठारह) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात;– (अट्ठारह–क) "रेडियो टैक्सी" का तात्पर्य आवश्यक विशिष्टताओं से युक्त मोटर कैब से है;

(घ) खण्ड (चौबीस) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात;– (चौबीस–क) "एस.टी.ए." का तात्पर्य धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश से है;

3. उक्त नियमावली में, नियम 124 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात :–

124 क इस नियमावली के अधीन प्रचालन पर प्रतिबन्ध– कोई व्यक्ति बिना वैध परमिट के रेडियो टैक्सी का व्यवसाय नहीं करेगा।

124 ख आवेदन करने के लिये पात्रता मानदंड – आवेदक को अनिवार्यतः–

(एक) कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का संघ, या भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन कोई पंजीकृत सोसाइटी होना चाहिए;

(दो) योजना के अधीन रेडियो टैक्सी का प्रबन्ध करने या उनका प्रचालन करने हेतु वित्तीय रूप से समर्थ होना चाहिए तथा मॉग पत्र जारी होने के दिनांक को या उसके पूर्व प्रपत्र–एस0आर0 43क पर निष्पादन प्रत्याभूति के लिए रू0 दो लाख बैंक प्रत्याभूति जमा करने की उससे अपेक्षा की जायेगी;

(तीन) यह प्रदर्शित करना होगा कि उसके पास सभी टैक्सियों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान, रेडियों संचार की सुविधायुक्त नियंत्रण कक्ष हेतु कार्यालय स्थान (न्यूनतम एक सौ वर्ग फिट) तथा दिन और रात सभी समय पर काल करने हेतु दो टेलीफोन लाइन है;

(चार) निम्नलिखित प्रकार की न्यूनतम दस रेडियो टैक्सियॉ रखना होगा–

(क) लाये जाने के समय ऐसा प्रत्येक वाहन बिल्कुल नया होना चाहिए;

(ख) वाहन स्वच्छ ईधन अर्थात कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस/लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (सीएनजी/एलपीजी) पर संचालित होना चाहिए;

परन्तु यह कि जहॉ स्वच्छ ईधन उपलब्ध न हो, वहॉ उपलब्ध ईधन के आधार पर संचालन की अनुमति दी जायेगी;

(ग) यान की इंजन क्षमता 999 सी.सी. या अधिक होना चाहिए, जीप सदृश यान यथा जिप्सी आदि प्रतिबन्धित है;

(घ) यान में तापमान नियंत्रक यंत्र यथा वातानुकूलन ताप यंत्र आदि हर समय सही दशा में अनुरक्षित होना चाहिए;

(ङ) यान में सामने के पैनल (डैशबोर्ड) पर इलेक्ट्रानिक फेयर मीटर लगा होगा और उसे ठीक दशा में रखा जाएगा;

(च) यान के छत पर लाइट इमिटिंग डायोड/लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगा होना चाहिए जिस पर यह प्रदर्शित होना चाहिए कि वाहन रेडियो टैक्सी है। एलइडी/एलसीडी प्रदर्शित करने वाला पैनल का परिमाप राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए मानक के अनुसार होना चाहिए;

(छ) यान पर केवल इसी प्रकार के विज्ञापन अनुमन्य किए जाऐगें जिससे सड़क के उपयोग करने वाले को कोई असुविधा न हो और केवल सड़क के किनारे खड़े लोगों के लिए दृश्ययान हो। ऐसी अनुज्ञा भी तब दी जायेगी जब यह सुनिश्चित हो जाय कि सड़क सुरक्षा किसी भी प्रकार से प्रभावित नही होगी;

(ज) यान को समय–समय पर निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा करना होगा;

(झ) यान में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम/जनरल पाकेट रेडियो स्विचिंग पर आधारित ट्रैकिंग उपकरण लगा होगा जो यान के ड्यूटी में रहने पर केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष से लगातार सम्पर्क में बना रहना चाहिए;

(ञ) यान में फ्रण्ट पैनल पर मोबाईल रेडियो लगा होगा जिससे चालक एवं प्रचालक के नियंत्रण कक्ष के मध्य संचार बना रहे;

(ट) यान में प्रथम उपचार पेटिका होना चाहिए जिसमें इस नियमावली के अधीन विनिर्दिष्ट सामग्री रखी रहेगी;

(ठ) यान के नौ वर्ष पुराने होने के पश्चात निर्धारित उत्सर्जन मानक पूर्ण करने वाले यान से उसे प्रतिस्थपित कर दिया जायेगा;

(ड) यान के डैशबोर्ड पर चालक और प्रचालक का फोटो, चालक एवं प्रचालक का विवरण प्रदर्शित किया जाएगा;

(ढ) रेडियो टैक्सी सफेद रंग की होगी और प्रत्येक प्रचालक को अलग–अलग करने के लिए पृथक–पृथक कार के पैनलों के दोनों ओर एक फुट चौड़ी भिन्न–भिन्न रंग की पट्टी होगी;

(ण) परिवहन हेल्प लाइन संख्या प्रमुख रूप से रेडियो टैक्सी के अन्दर एवं बाहर अनिवार्यतः प्रदर्शित किया जायगा।

और प्रचालक द्वारा रेडियो टैक्सी के लिये निम्न प्रोफाइल वाले चालक को नियोजित किया जायेगाः–

(क) इस नियमावली के अधीन रेडियो टैक्सी चलाने हेतु नियोजित किये जाने के दिनांक से कम से कम तीन वर्ष पूर्व से चालक यथा स्थिति भारी या हल्के मोटरयान का लाइसेंसधारी हो;

(ख) चालक मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा–10 परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो;

(ग) राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जब भी विशेष चालन परीक्षा आयोजित/विहित की जाय तो चालकों से अपेक्षा की जायेगी कि वे उसे सफलता पूर्वक उत्तीर्ण कर लें;

(घ) चालक इस नियमावली के अधीन निर्धारित या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित वर्दी या पोशाक धारण करेंगें;

(ङ) चालकों का आचरण अच्छा होगा और उनका चरित्र बिना किसी अपराधिक रिकार्ड का होगा;

(च) चालक पूर्णतः विश्वसनीय एवं विश्वासपात्र होंगे जिन्हें पुलिस द्वारा सत्यापन के पश्चात् ही रोजगार में रखा जायेगा।

124 ग प्रचालन क्षेत्र – यदि किसी रेडियो टैक्सी को परमिट निर्गत कर दिया जाय तो उसे परमिट के अधीन किसी भी नगर निगम क्षेत्र की सीमा के भीतर प्रचालन की अनुमति होगी और यात्री की मॉग पर राज्य में स्थित किसी भी दर्शनीय स्थान की यात्रा किए जाने के लिए वैध होगा।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजनार्थ नगर निगम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या 2, सन् 1959) के अधीन नगर निगम से है।

124घ परमिट की स्वीकृति या नवीनीकरण के लिए आवेदन– (1) अधिनियम तथा इस नियमावली के अधीन नगर निगम की क्षेत्रीय सीमा में प्रचालन के लिए परमिट की स्वीकृति या नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र एस आर 43 बी पर राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जायेगा और समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित फीस भी आवेदन के साथ दी जायेगी। यदि आवेदन के समय प्रचालक के पास वाहन न हो तो वह उक्त आवेदन पर ही वाहन क्रय करने का उल्लेख करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण से मॉग पत्र निर्गत करने का आवेदन कर सकता है।

(2) इस नियमावली के अधीन परमिट की स्वीकृति या नवीनीकरण के लिये आवेदन राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा सामान्यतया आवेदन प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के अन्दर निस्तारित किया जायेगा।

124 ङ परमिट जारी करने तथा नवीनीकरण करने की प्रक्रिया–

(1) राज्य परिवहन प्राधिकरण, नियम 124 घ के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर और स्वयं का यह समाधान कर लेने के पश्चात कि आवेदक ने नियम 124 ख की अपेक्षाओं का पालन कर लिया है, नियम 124 ज के अधीन राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अन्तिम प्रवेश समय सारणी के अनुसार विहित श्रेणी की कम से कम दस वाहनों को क्रय करने के लिए प्रपत्र एसआर 43 सी पर मॉग पत्र जारी कर सकेगी। प्रवेश समय सारणी के अधीन मॉग पत्र जारी करने के दिनांक से चार माह के अन्दर निर्धारित वाहन आवेदक द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं, परन्तु प्रचालन को प्रारम्भ करने के लिए वाहनवार प्रारम्भ में पॉच वाहनों को अस्थाई परमिट भी स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) अस्थाई परमिट, कम से कम पॉच वाहनों पर प्रचालक को चार महीने के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा जिससे इन चार माह में पूरी सुविधायुक्त रेडियो नेटवर्क तथा जीपीएस/जीपीआरएस ट्रेकिंग प्रणाली को स्थापित किया जा सके।

(3) यदि चार माह में प्रचालक इन शर्तों को पूर्ण करने में असफल रहता है तो राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते हुय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में देय रूपये पॉच हजार मात्र का डिमांड ड्राफ्ट शास्ति के रूप में आवेदन के साथ कारणों को उल्लिखित करते हुए लगाएगा। स्पष्ट किये गये कारणों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपना समाधान कर लेने के पश्चात अवसंरचना को स्थापित करने के लिए अग्रतर दो माह का समय प्रदान कर सकेगा।

(4) **नियम 124 ज** के अधीन राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रवेश समय सारणी के अनुसार जब तक कि कम से कम दस वाहन न प्राप्त कर लिये जाय तब तक वाहनवार अस्थाई परमिट प्रचालक को जारी किए जाएंगे। मॉग पत्र में विहित समस्त शर्तों के अनुपालन में राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा **प्रपत्र एस. आर. 43 डी** पर वाहनवार पॉच वर्ष की अवधि के लिये वैध नियमित परमिट जारी किए जायेगें।

(5) प्रचालक द्वारा विहित अवधि के अन्दर पूर्ववर्ती मदों में वर्णित अनुबंधों का अनुपालन न करने की दशा में, उसका अस्थाई परमिट स्वतः निरस्त समझाा जाएगा और दो लाख रूपये की निष्पादन प्रत्याभूति को जब्त कर लिया जाएगा।

(6) प्रारम्भ में पॉच वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत परमिट और राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा विहित अन्य किसी वाहनवार शर्तों को पूर्ण करने तथा प्रचालक के सन्तोष जनक निष्पादन के अध्याधीन पॉच वर्षों की अग्रतर अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा परमिट चार वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् परन्तु परमिट समाप्त होने के न्यूनतम तीन माह पूर्व नवीनीकृत/नए दो लाख रूपये के या, यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा मंहगाई तथा रेडियो टैक्सी के मूल्य के दृष्टिगत बढ़ायी गयी राशि निष्पादन प्रत्याभूति के साथ वाहनवार आवेदन **प्रपत्र एस.आर.43बी** पर किया जा सकेगा।

(7) परमिट के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रचालक के कारोबार करने के परिसर का निरीक्षण किया जाएगा तथा इस नियमावली के निबंधन और शर्तों के अनुसार प्रचालक के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा। परमिट के नवीनीकरण स्वीकृत करने के समय राज्य परिवहन प्राधिकरण प्रचालक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों को भी ध्यान में रखेगा। इस नियमावली की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रचालक द्वारा सेवाओं की पूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेने के पश्चात प्रपत्र एस. आर.43डी पर राज्य परिवहन प्राधिकरण परमिट का नवीनीकरण करेगा।

124 च प्रचालक के पालन करन हेतु विशेष शर्ते—(1) प्रचालक या परमिट धारक

(क) राज्य परिवहन प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति के बिना परमिट में उल्लिखित कारबार के मुख्य स्थान को परिवर्तित नहीं करेगा;

(ख) राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कराधान अधिकारी या वरिष्ठ मोटरयान निरीक्षक स्तर से अन्यून व्यक्ति के लिए अपने कारबार के स्थान तथा समस्त

सम्बन्धित अभिलेख तथा रजिस्टर एवं रेडयों टैक्सी को उचित समय पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखेगा;

(ग) राज्य परिवहन प्राधिकरण को समय–समय पर वॉछित सूचनाएॅ एवं विवरण उपलब्ध करायेगा;

(घ) रेडियो टैक्सी के अन्दर तथा कारबार के अपने मुख्य कार्यालय तथा अन्य कार्यालयों, जो सहजदृश्य स्थानों पर प्रपत्र एस.आर. 43ई में क्रमबद्ध रूप से क्रमांकित पृष्ठों वाले तीन प्रतियों में ''शिकायत पुस्तिका'' रखेगा। प्रचालक प्राप्त शिकायत, यदि कोई हो, की द्वितीय प्रति को विलम्बतम तीन दिन के अन्दर राज्य परिवहन प्राधिकरण को पंजीकृत डाक से प्रेषित करेगा; और

(ङ) मुख्य शाखा कार्यालय में सुझाव पुस्तिका भी रखेगा और प्राप्त सुझाव, यदि कोई हो, टिप्पणी के साथ माह में एक बार राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रेषित करेगा।

(2) राज्य परिवहन प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति के बिना प्रचालक द्वारा किसी एक को परमिट हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

124 छ किराया एवं यान को खड़े रहने का प्रभार – किराया यान को खड़ा करने हेतु तथा अन्य प्रभार का निर्धारण सरकारी गजट में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

124 ज प्रवेश समय सारणी–(1) मॉग पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र के समय आवेदक को न्यूनतम दस वाहनों को प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रवेश समय सारणी प्रस्तुत करना होगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण प्रस्तुत किए गये समय सारणी को न्यूनतम पॉच गाड़ियों को प्रथम चरण में मॉग पत्र जारी होने के बाद युक्त–युक्त समय के अन्दर प्रस्तुत करने की आवश्यकता उल्लिखित करते हुए सारणी को अनुमन्य कर सकेगा और आगे प्रस्तुत समय सारणी को उसी रूप में संशोधनों के साथ या बिना किसी संशोधन के अनुमन्य कर सकेगा या मॉग पत्र जारी करने से पूर्व उपान्तरित प्रवेश समय सारणी प्रस्तुत करने हेतु आवेदक से अपेक्षा कर सकेगा।

(2) प्रचालक द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण को अनुमोदित समय सारणी के प्रत्येक चरण के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाएगी।

(3) यदि प्रचालक अनुमोदित समय सारणी के अनुसार रेडियो टैक्सी को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो राज्य परिवहन प्राधिकरण भार निष्पादन प्रत्याभूति को जब्त किया जा सकेगा तथा अस्थायी परमिट निरस्त किया जा सकेगा।

124 झ परमिट को निलम्बित या निरस्त करने की राज्य परिवहन प्राधिकरण की शक्ति–(1) प्रचालक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात राज्य परिवहन प्राधिकरण का यह समाधान हो जाने पर कि–

(क) वह इस नियमावली के प्राविधानों या परमिट की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहा है; या

(ख) वह अधिनियम तथा इस नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप रेडियों टैक्सी का रख रखाव करने में असफल रहा है; या

(ग) उसका कोई कर्मचारी किसी ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार का दोषी रहा है; या

(घ) किसी व्यक्ति द्वारा परमिट धारक के विरूद्ध की गयी शिकायत सिद्ध है, तो विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परमिट को निलम्बित या निरस्त कर सकेगी।

(2) जहॉ कोई परमिट निलम्बित या रदद किए जाने के योग्य है और राज्य परिवहन प्राधिकरण की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परमिट को निलम्बित या रदद् किया जाना आवश्यक या समीचीन नहीं होगा। प्रचालक एक निश्चित धनराशि देने के लिए सहमत हो जाता है तो वहॉ उप धारा (1) में किसी प्रतिकूल बात के होतु हुए भी राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा, परमिट को रद्द या निलम्बित करने के बजाय प्रचालक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है।

(3) उप नियम (1) के अधीन परमिट को निलम्बित या निरस्त कर दिये जाने पर प्रचालक परमिट को राज्य परिवहन प्राधिकरण को समर्पित कर देगा।

124ञ अपील–नियम 124ङ के उप नियम (1) या नियम 124 झ के अधीन राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा किए गये किसी भी आदेश से कोई व्यथित व्यक्ति आदेश प्राप्त करने के तीस दिनों के भीतर राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण के यहॉ अपील कर सकेगा।

124ट अपील की प्रक्रिया–(1) नियम 124ञ के अधीन अपील दो प्रतियों में ज्ञापन के प्रारूप में की जाएगी जिसमें राज्य परिवहन प्राधिकरण के आदेश के बावत आक्षेपों के आधारों का उल्लेख किया जाएगा और उसके साथ सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट फीस भी होगी।

(2) राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पनश्चात और ऐसी जॉच यदि कोई हो, करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

124ठ लगी हुयी सभी रेडियों टैक्सी परमिटों के लिए सामान्य शर्तें–(1) ऐसे प्रत्येक परमिट की निम्नलिखितशर्तें होंगीः–

(एक) चालकों के कार्य के घण्टे परिवहन चालक अधिनियम, 1961 के अनुसार सीमित होंगे।

(दो) सामान्य जनता के लिए रेडियों टैक्सी निम्न लिखित तीन प्रकार से उपलब्ध रहेगी।

(क) सम्बन्धित दूरभाष संख्या पर डायल द्वारा काल पर ,

(ख) अभिहित स्थान से टैक्सी किराए पर लेकर;

(ग) टैक्सी को सड़क पर रोक करके।

(तीन) यदि रेडियो टैक्सी का प्रचालक किसी यान का प्रयोग ऐसी रीति से करता है या करवाता है या प्रयोग किये जाने की अनुमति देता है जो परमिट या इस नियमावली के

उपबन्धों द्वारा प्राधिकृत न हो तो प्रचालक/चालक ऐसे अपराध या जुर्म जो उक्त यान का उपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो, के लिये संयुक्त रूप से या पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होगा।

(चार) कोई प्रचालक राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वयं को जारी किये गये परमिट को किसी भी समय समर्पित कर सकेगा और ऐसे समर्पण पर राज्य परिवहन प्राधिकरण परमिट को निरस्त करेगा। प्रचालक परमिट समर्पित करने और बैंक प्रत्याभूति को अवमुक्त करने की मॉग करने के पूर्व समस्त देयों का भुगतान करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में उप नियम (1) में उल्लिखित किन्हीं या समस्त निबंधनों एवं शर्तों में जनहित में परिवर्तन करने की शक्ति होगी।

नये प्रपत्रों का बढ़ाया जाना

4– उक्त नियमावली में, प्रपत्र एस.आर.–43 के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र बढ़ा दिये जायेंगे अर्थातः–

प्रपत्र एस.आर.–43 क

[नियम 124 ख (ख) देखिए]

निष्पादन प्रत्याभूति के लिए बैंक प्रत्याभूति

(आसंजक स्टाम्प युक्त बैंक के लेटर हेड पर)

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
परिवहन भवन, टेढ़ी कोठी,
एम.जी.मार्ग, लखनऊ–226001

सभी व्यक्तियों को विदित हो कि सम्बन्धित की उपस्थिति में हम.. ....(बैंक का नाम और पता), जिसका पंजीकृत कार्यालय............. ....पर स्थित है, (जिसे एतद्पश्चात ''बैंक'' कहा गया है, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जिसे एतद्पश्चात् ''नियामक'' कहा गया है, को रू0............................के (रू0.. ....लाख मात्र) की रकम के लिए आबद्ध है, जिसका भुगतान उक्त नियामक को वास्तविक रूप में किया जायेगा। सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा बैंक स्वयं को, अपने उत्तराधिकारियों और अभ्यर्पितियों को आबद्ध करता है।

चूँकि रेडियो टैक्सी परमिट के क्रियान्वयन हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा.............................. ....(प्रचालक का नाम)

(जिसे एतद् पश्चात ''प्रचालक'' कहा गया है) को मॉग पत्र संख्या................................ दिनांक..... ....जारी किया जा चुका है।

और चूॅकि प्रचालक द्वारा निष्पादन प्रत्याभूति के रूप में रूपये.. ....लाख (रूपये.. ....लाख मात्र) की धनराशि की बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

और चूॅकि...(बैंक का नाम) ने प्रचालक के अनुरोध पर इस प्रत्याभूति, जो एतद् पश्चात अन्तर्विष्ट है, को बिना आपत्ति के देने के लिए सहमति दे दी है

2— हम अग्रतर निम्नप्रकार सहमत हैः—

(क) यह कि एतद्पूर्व अन्तर्विष्ट प्रत्याभूति पर हमारे बैंक के संविधान में या प्रचालक के संविधान में किसी परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) यह कि नियामक और प्रचालक के मध्य परिनिर्धारित कोई लेखा इसके अधीन हमारे विरूद्ध देय धनराशि का निश्चायक साक्ष्य होगा और उस सम्बन्ध में हमारे द्वारा कोई प्रश्न नहीं किया जायेगा।

(ग) यह कि यह प्रत्याभूति इस दिनांक से प्रारम्भ होती है और पॉच वर्ष की अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगी जो पॉच वर्ष तक और बढ़ायी जा सकती है

(घ) यह कि इसमें प्रयुक्त पद ''प्रचालक'' और ''बैंक'' के अन्तर्गत, जब तक कि ऐसा निर्वचन विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उनके सम्बन्धित उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिती भी होंगे।

3— इस बाध्यता की शर्तें निम्नवत् हैं :

(एक) यदि प्रचालक मॉग पत्र में विनिर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर रेडियो टैक्सी लाने में विफल रहता है या उससे इन्कार करता है।

(दो) यदि प्रचालक रेडियो टैक्सी योजना के अधीन अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहता है।

हम बचन देते हैं नियामक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को उनके प्रथम लिखित मॉग की प्राप्ति पर उपर्युक्त धनराशि तत्काल प्रदान करेंगे, जिसमें नियामक अपनी मॉग सिद्ध नहीं करेगा परन्तु यह कि नियामक अपनी मॉग में घटित शर्त या शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए यह उल्लिखित करेगा कि उसके द्वारा दावाकृत धनराशि ऊपर (एक) एवं (दो) में उल्लिखित किसी एक या अधिक शर्तों के घटित होने के कारण उसे देय है।

साक्षी के हस्ताक्षर.. बैंक के प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर
साक्षी का नाम.. बैंक के पदाधिकारी का नाम................................
साक्षी का पता.. पदनाम..

बैंक की स्टाम्प / मुहर

प्रपत्र एस.आर.–43ख

[नियम 124 घ देखिये]

रेडियो टैक्सी के अधीन मॉग पत्र/परमिट की स्वीकृति या निर्गमन या नवीकरण हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

मैं/हम अधोहस्ताक्षरी, एतद् द्वारा रेडियो टैक्सी के परमिट के लिए एतद् द्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं।

1– पूरा नाम–

2– पिता/पति का नाम–किसी व्यक्ति की दशा में और सहकारी समिति या कम्पनी की दशा में, यथास्थिति, सचिव, या प्रबन्ध निदेशक का नाम..

3– आवेदक की प्रास्थिति, (चाहे व्यक्ति, व्यक्तियों का संघ, सहकारी समिति हो या कम्पनी आदि हो)

4– पूरा पता
(एक) स्थायी
(दो) वर्तमान
(व्यक्ति की दशा में राज्य परिवहन प्राधिकरण की संतुष्टि हेतु राशन कार्ड, विद्युत बिल या अन्य किसी वैद्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति तथा सहकारी समिति या कम्पनी की दशा में रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति सबूत के रूप में संलग्न करें)

5– (एक) वाहन का रजिस्ट्रेशन चिन्ह.....................................
(दो) माडल...
(तीन) चेसिस संख्या..
(चार) इंजन संख्या...
(पॉच) वाहन का वर्ग...
(छः) ले जाए जाने वाले यात्रियों की संख्या..................
(सात) वित्तपोषक का नाम, यदि कोई हो, जिसके साथ वाहन किराया क्रय करार के अधीन है।

6– मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परमिट वैध है–

7— क्या विनिर्दिष्टियॉ रेडियो टैक्सी के अनुसार पूर्ण है—
8— क्या टैक्सी मीटर/जीपीएस/जीपीआरएस लगा है—
9— (क) परिवहन व्यवसाय के प्रबन्ध का अनुभव—
(ख) आवेदक के नाम से उपलब्ध रेडियो टैक्सी की संख्या

(संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रति सबूत के रूप में संलग्न करें)

10— परमिट का विवरण, यदि पहले से धृत है...
11— (क) स्थान जहॉ आवेदक का मुख्य कार्यालय है
तथा उसका विस्तृत पता—
(ख) स्थान जहॉ आवेदक की शाखा कार्यालय है
और उसका विस्तृत पता—
(ग) प्रत्येक शाखा कार्यालय में रखे जाने वाले रेडियो टैक्सी की संख्या—
12— आवेदक के वित्तीय संसाधन की प्रकृति एवं सीमा—
13— क्या आवेदक ने निष्पादन प्रत्याभूति के लिए बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत कर दी है,(यदि हॉ तो उसका विवरण दें)
14— क्या रेडियो टैक्सी योजना के अधीन व्यवसाय करने से सम्बन्धित शर्तें प्रचालक के संज्ञान में है?
15— क्या मॉग पत्र निर्गत होने के दिनांक से एक वर्ष के अन्दर लाए जाने वाले रेडियो टैक्सी से सम्बन्धित प्रवेश समय सारणी को प्रचालक ने प्रस्तुत कर दिया है ?(यदि हॉ तो प्रपत्र संलग्न करें)
16— नियत फीस का विवरण—
17— मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूॅ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपरोक्त दिए गये विवरण सत्य एवं सही हैः

अतएव मैं/हम वाहन प्रवेश समय सारणी के अनुसार मॉग पत्र निर्गत करने का अनुरोध करता हूॅ/करते हैं ताकि परमिट की स्वीकृति एवं निर्गमन के लिए वाहनों का प्रबन्ध किया जा सके।

नोट : जो लागू न हो काट दें

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रपत्र एस.आर.– 43ग
(नियम 124 ङ(1) देखिए)
परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश
मॉग पत्र

संख्या...दिनांक..
सेवा में,

श्री / श्रीमती...
....
....

रेडियो टैक्सी क्रय करने / इनकी व्यवस्था करने हेतु आपके आवेदन पत्र, दिनांक.............
......................के संदर्भ में निम्न प्रवेश समय सारणी के अनुसार वाहन लाये जाने के लिये मांग पत्र निर्गत किया जा रहा है।

....
....
....

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त अनुमोदित समय सारणी के अनुसार रेडियो टैक्सियॉ लाने में असफल रहने की दशा में निष्पादन प्रत्याभूति के रूप में दिए गये बैंक प्रत्याभूति को जब्त किया जा सकता है।

सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

प्रपत्र एस.आर.–43 घ

(नियम 124ङ देखिये)

रेडियो टैक्सी के लिए परमिट

परमिट संख्या :–

1– प्रचालक का नाम–

2– पिता/पति का नाम, व्यक्ति की दशा में और सहकारी समिति या कम्पनी की दशा में, यथा स्थिति उसके सचिव या प्रबन्ध निदेशक का नाम–

3– पता–

4– व्यवसाय का मुख्य स्थान–

5– (एक) वाहन की रजिस्ट्रेशन चिन्ह–
(दो) माडल–
(तीन) चेसिस संख्या–
(चार) इंजन संख्या–
(पॉच) वाहन वर्ग–
(छः) ले जाए जाने वाले यात्रियों की संख्या–
(सात) वित्तपोषक का नाम, यदि कोई हो,
जिसके साथ वाहन किराया/क्रय करार के अधीन है

6– मार्ग अथवा क्षेत्र जिसके लिए परमिट वैध है–

7– परमिट निर्गत करने का दिनांक–

8– परमिट के अवसान का दिनांक–

9– यान के प्रतिस्थापन का दिनांक–

10– रेडियो टैक्सी के रूप में विशिष्टिताएँ पूर्ण हैं

11– ले जाए जाने वाले माल की प्रकृति

12– परमिट की शर्तें संलग्न हैं–

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश

नवीकरण

दिनांक..से..तक नवीकरण किया गया।

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

प्रारूप एस.आर.–43ङ
(नियम 124च(1)(घ) देखिए)
शिकायत–पुस्तिका

(तीन प्रतियों में पृष्ठों पर क्रम संख्या अंकित हो)

1– शिकायत कर्ता का नाम–
2– पूरा पता–
3– प्रचालक का नाम एवं पता–
4– परमिट संख्या एवं परमिट निर्गत करने वाला प्राधिकारी–
5– वाहन को किराये पर लेने का दिनांक एवं समय और वह समय जब वाहन वापस आयी–
6– वाहन संख्या–
7– शिकायत संक्षेप में–

दिनांक–
स्थान–

हस्ताक्षर

प्रतिलिपि–

1– राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ रजिस्टर्ड डाक............(द्वितीय प्रति)
2– शिकायत कर्ता...(तृतीय प्रति)

आज्ञा से,

(बी0एस0 भुल्लर)
प्रमुख सचिव